संख्या– 65 VI-1 / 2004 खेल विभाग / 2004

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक,
खेल विभाग,
उत्तरांचल शासन।

खेल अनुभाग

देहरादून दिनांक 7 जून,2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 के लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि में से अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–240 / वि0अनु0–1 / 2004 दिनांक 27 मार्च,2004 एवं आपके पत्रांक–58 / आय–व्ययक / 2004 दिनांक 8 अप्रैल, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 में 01 अप्रैल, 2004 से 31 जुलाई, 2004 तक की अवधि हेतु खेल विभाग के लेखानुदान में स्वीकृत अवशेष धनराशि रू0 20.28 (रू0 बीस लाख अठाईस हजार मात्र) के निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0स0	मानक मद	धनराशि हजार रूपये में
1–	07–मानदेय	7
2–	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	67
3–	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	7
4–	22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ते आदि	8
5–	26–मशीने और साज–सज्जा उपकरण और संयत्र	33
6–	42–अन्य व्यय	2
7–	44–प्रशिक्षण व्यय	7
8–	45–अवकाश यात्रा व्यय	33
9–	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	67
10–	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	13
	योग–	244

(रूपये दो लाख चवालीस हजार मात्र)

क्र0सं0	मानक मद	
	104–खेल कूद	
1–	03–भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता। 20–सहायक अनुदान / अशंदान / राजसहायता	17
2–	07–विशिष्ठ खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरूष्कार 20–सहायक अनुदान / अशंदान / राजसहायता	67
3–	10–राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरूष्कार 20–सहायक अनुदान / अशंदान / राजसहायता	100
4–	11–राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाडियों हेतु किट की व्यवस्था	133
5–	12–प्रदेशीय क्रीडा संघो एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान	167
6–	14–प्रतियोगिता का आयोजन 20–सहायक अनुदान / अशंदान / राजसहायता	333

7–	15–प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	233
8–	21–अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगितायें 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	67
9–	22–प्रदेशीय क्रीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	167
	योग 104–खेलकूद	1784
		कुल योग– 2028 (रू0 बीस लाख अठाईस हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है । अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3– धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृत की जा रही है मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। इस धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

4– धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उपरोक्त तालिका–1 में उल्लिखित धनराशि खेल विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में लेखानुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–खेलकूद निदेशन मानक मदों के अनतर्गत एवं उपरोक्त तालिका–2 के कालम–3 में इंगित धनराशि खेल विभाग के लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–03–खेलकूद निदेशालय–104–खेलकूद सुसंगत मानक मदों के अनतर्गत डाला जायेगा।

6–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–246/सत्ताईस(2)/2004 दिनांक 1 जून 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृ0सं संख्या– /खे0अनु0/2004– खेल/2003,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय विल्डिंग सहारनपुर रोड देहरादून ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
3. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन ।
4. श्री एल.एम.पंत, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन ।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
6. वित्त अनुभाग–2 ।
7. गार्ड फाइल ।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव